कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखा व हकदारी) हरियाणा,
लेखा भवन, प्लाट नं 4 व 5 सैक्टर 33—बी,
चण्डीगढ—160020

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
HARYANA, LEKHA BHAWAN
PLOT NO.-4 & 5, SECTOR 33-B
CHANDIGARH-160 020

कार्यालय आदेश

विषय: मंडलीय लेखाकार संवर्ग के द्वारा @cag.gov.in पर आधिकारिक ई-मेल आईडी के उपयोग और रखरखाव के संबंध में।

इस कार्यालय के आईटी सेल (IT Cell) द्वारा यह सूचित किया गया है कि मंडलीय लेखाकार/ मंडलीय लेखा अधिकारी (DA/DAO) संवर्ग के कुछ कर्मचारी /अधिकारी अपनी आधिकारिक ई-मेल आईडी (@cag.gov.in) का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी आईडी निष्क्रिय (deactivate) / निलंबित (suspend) कर दी गई हैं।

इस संबंध में मुख्यालय (CAG कार्यालय) द्वारा जारी ई-मेल निलंबन एवं निष्क्रियता संबंधी व्यापक नीति और उसकी समय-सीमा से सभी अधिकारियों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। निर्धारित नीति के अनुसार, तय समयावधि के भीतर आधिकारिक ई-मेल खाते में लॉग-इन न करने पर -

(क) 30 दिनों के बाद: ई-मेल आईडी का निलंबन (Suspension)

(ख) 90 दिनों के बाद: ई-मेल आईडी का निष्क्रिय (Deactivation)

(ग) 180 दिनों के बाद: ई-मेल आईडी का स्थायी रूप से बंद (Permanent blocking) हो जाता है।

अतः, सभी संबंधित कर्मचारियों/ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आधिकारिक संचार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने तथा अपनी ई-मेल आईडी को निलंबन/ब्लॉकिंग से बचाने के लिए नियमित रूप से अपने आधिकारिक ई-मेल खातों को लॉग-इन एवं संचालित करें।

यदि किसी अधिकारी को @cag.gov.in मेल आईडी के लॉगिन के संबंध में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे इसकी लिखित रिपोर्ट तीन (3) कार्य दिनो के अन्दर इस अनुभाग (WM-A) को प्रस्तुत करें, ताकि उसका जल्दी समाधान किया जा सके। इस आदेश के बाद भी अनुपालन न करने के कारण भविष्य में सरकारी मेल आईडी के निलंबित या निष्क्रिय होने की स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

यह आदेश वरिष्ठ उप महालेखाकार (कार्य) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
Amrit Talwar
Date: 11-06-2026
12:03:19

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्य विविध (प्र))

कार्य विविध (प्र)/ई-मेल /डी.ए./2026-27/260 दिनांक :- 11-06-2026

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है -

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन / कार्य) के निजी सचिव।
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आईटी सेल)
3. सभी संबंधित मंडलीय लेखाकार/ मंडलीय लेखा अधिकारी (DA /DAO) संवर्ग (Through Office website)।
4. कार्यालय आदेश फ़ाइल ।

अमन

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्य विविध (प्र))

Phone: - 0172-2614931, 2613211, 2615382, 2608494 Fax No- 0172-2603824 E-mail:- agaeharyana@cag.gov.in